

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2024 / 322

दिनांक :- 02.09.2024

## आदेश

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र पाल धायल ने प्रार्थीयागण के पिता का नाम का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट में मज में आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज आदि की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल. आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम सांगलिया प0ह0 सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 362 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सांगलिया	362	छोगसिंह पुत्र नामिला	धनसिंह पुत्र नामिला

(गोविन्द सिंह भींचर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक :- 02.09.2024

क्रमांक / रीडर / 2024 / 322

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़